देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

मानक प्रचालन कार्यविधि

पुलिस विभाग

(एस०डी०आर०एफ०, फायर सर्विस,
पुलिस संचार एवं जनपद पुलिस)

देहरादून, उत्तराखण्ड

नोट

मानक प्रचालन कार्यविधि

पुलिस विभाग

(एस०डी०आर०एफ०, फायर सर्विस,
पुलिस संचार एवं जनपद पुलिस)

देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

विवरणिका

1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
   - 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
   - 3.2 जोखिम आकलन
   - 3.3 संसाधन मानचित्रण
   - 3.4 संवेदनशील समूहों की पहचान व दस्तावेजीकरण
   - 3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन
   - 5.1 अल्प अवधि की चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता
   - 5.2 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 6.1 प्रथम चरण
   - 6.2 द्वितीय चरण

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

8. सुझाव

9. चेकलिस्ट

1. संदर्भ

उत्तराखण्ड पहाड़ों से आच्छादित होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही अनेक धार्मिक स्थल होने के कारण यह राज्य धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व रखता है। राज्य एक तरफ त्वरित बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प, बादल फटना, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलता है तो वर्ष भर चलने वाले धार्मिक क्रिया–कलापों के कारण भगदड़, सड़क दुर्घटना आदि मानव जनित आपदाएं भी राज्य को प्रभावित करती हैं। पुलिस विभाग अपनी दोनों इकाईयों– अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा तथा एस0डी0आर0एफ0 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्राकृतिक एवं मानव जनित सभी आपदाओं में अपनी सेवाएं तत्परता के साथ प्रदान करती है। आपदाओं के दौरान पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका कानून व्यवस्था को बनाये रखने की होती है, साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों में एस0डी0आर0एफ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपनी इस भूमिका को और अधिक गुणवत्तापूर्ण तरीके से त्वरित ढंग से निर्वहन करने हेतु विभाग को आपदा पूर्व एवं आपदा के दौरान बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। इन तैयारियों के सन्दर्भ में विभाग के मुख्यालय स्तर से तथा शासन स्तर से समय–समय पर बहुत से दिशा–निर्देश जारी होते हैं। इन्हीं दिशा–निर्देशों को संकलित कर उत्तराखण्ड पुलिस विभाग (एस0डी0आर0एफ0, अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा विभाग, पुलिस संचार एवं जनपद पुलिस), की मानक प्रचालन कार्यविधि तैयार की गयी है।

2. उद्देश्य

मानक प्रचालन कार्यविधि बनाने के निम्नवत् उद्देश्य हैं–

- विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का सन्दर्भ लेते हुए एस0डी0आर0एफ0, अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा विभाग, पुलिस संचार तथा जनपद पुलिस सहित उत्तराखण्ड पुलिस विभाग की राज्य मुख्यालय से लेकर थाने स्तर तक की सभी इकाइयों के बीच कार्यों एवं जिम्मेदारियों की स्पष्टता विकसित करना।
- आपदाओं के दौरान एवं बाद में कानून–व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा के दौरान त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण राहत एवं बचाव कार्य सम्पादित करना।

3. पूर्व तैयारी क्रिया

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी क्रिया के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेगी–

3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

सामान्य पुलिस

- राज्य स्तर पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नोडल होंगे। जो सामान्य पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 व फायर सभी के लिए होंगे। उनके नीचे प्रत्येक विंग (पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 व फायर) में आई0 जी रैंक नोडल अधिकारी होगा।
- विभाग स्तर पर आपदा प्रबन्धन टीम का गठन कर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी ताकि आपदा की स्थिति में अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकें।
- विशेषकर मेले आदि के दौरान भीड़ प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर विभागीय आपदा नोडल अधिकारी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी जनपद व थाने स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करेंगे व गठित टीम व उनके सदस्यों के बीच उनकी जिम्मेदारियों एवं कार्यों का बंटवारा करेंगे।

अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा

- राज्य में आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों व जनपदों के अन्तर्गत सर्वाधिक संवेदनशील विकास खण्डों/क्षेत्रों की पहचान मार्च माह तक कर ली जायेगी। इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर राज्य आपदा नोडल अधिकारी (अपर निदेशक स्वास्थ्य) तथा जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे साथ ही गढवाल एवं कुमाऊं मण्डल के निदेशक मण्डलीय नोडल अधिकारी होंगे।

- विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान प्रभावी सेवा प्रदान करने की दृष्टि से अग्निशमन अधिकारी एस0डी0आर0एफ0 एवं पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही अग्नि आपदा के दौरान सुचारू जल आपूर्ति के लिए पेयजल विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे।

3.2 जोखिम आकलन

- राज्य में आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों व जनपदों के अन्तर्गत सर्वाधिक संवेदनशील विकासखण्डों/क्षेत्रों की पहचान मार्च माह तक कर ली जायेगी। इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर विभाग के राज्य आपदा नोडल अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जनपद प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

- जनपद प्रभारी/क्षेत्राधिकारी मई माह तक मौसम विभाग की चेतावनियों के अनरूप बादल फटने वाले संभावित स्थलों को चिन्हित कर लेगें।

3.3 संसाधन मानचित्रण

- संभावित आपदा प्रभावित समस्त जनपदों के समस्त थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी अप्रैल माह तक आपदा के दौरान लोगों की सुरक्षित निकासी हेतु क्षेत्र के अन्दर उपलब्ध नावों व अन्य वाहनों को चिन्हित कर लेंगे। साथ ही नाविकों व वाहन चालकों के नाम व फोन नं0 सहित सूची तैयार कर लेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता ली जा सके।

- सम्बन्धित सहायक रेडियो अधिकारी अप्रैल माह तक सभी थानों पर मौजूद वायरलेस उपकरणों को जांचेंगे कि वे सभी सही हालत में व काम करने लायक हों।

- जनपद प्रभारी/क्षेत्राधिकारी अप्रैल माह तक विभाग के पास उपलब्ध एम्बुलेन्सों को सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित रखेंगे। आवश्यक उपकरण न होने की स्थिति में जिला प्रशासन से उनकी मांग करेंगे।

- जनपद प्रभारी/क्षेत्राधिकारी व सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को आवश्यक उपकरणों के साथ आपदा सम्भावित क्षेत्रों के समीप स्थित थानों/चौकियों में तैनात किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में अग्निशमन यंत्रों की देख–रेख की जायेगी, खराब यंत्रों की मरम्मत की जायेगी एवं अग्निशमन गाड़ियों को आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा। पुराने व कटे–फटे पाइपों को बदल दिया जायेगा।

- अग्निशमन हेतु जलापूर्ति के साधन फायर हाइड्रेण्टस के रख–रखाव का कार्य जल संस्थान द्वारा किया जाता है। अग्निशमन अधिकारियों द्वारा समय–समय पर फायर हाइड्रेण्ट्स का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी फायर हाइड्रेण्ट सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और उनमें पर्याप्त पानी उपलब्ध है।

- किसी भी फायर हाइड्रेण्ट के खराब होने की स्थिति में मुख्य अग्निशमन अधिकारी जल संस्थान को सूचित कर उसकी मरम्मत करवा लेंगें।

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी विभागीय स्तर पर रूट प्लान तैयार कर लेंगे तथा उसी के अनुरूप नियोजन करेंगे।

- सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वैच्छिक रक्तदाताओं की सूची तैयार कर जनपद व राज्य आपदा प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करेंगे।

3.4 संवेदनशील समूहों की पहचान व दस्तावेजीकरण

अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी के निर्देश पर अग्निसुरक्षा उपकरणों से विहीन सभी व्यवसायिक भवनों, अस्पतालों व कार्यालयों की पहचान की जायेगी और उन्हें इस बात के लिए निर्देशित किया जायेगा कि वे अग्निसुरक्षा उपकरणों को लगवाना सुनिश्चित करें।

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के अनुसार बैंकों, शापिंग काम्पलेक्सों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों एवं बहुमंजिली इमारतों, स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों आदि में अग्निशमन की उचित व्यवस्था का व्यवस्थापन करेंगें।

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी वनों में लगने वाली आग को रोकने हेतु वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे।

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में प्रदेश में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों जैसे कुम्भ मेला, कांवड़ मेला, त्यौहारों, उत्सवों, स्नान पर्वों एवं चार धाम यात्राओं में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जायेगा।

3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

सामान्य पुलिस

- एन0डी0आर0एफ0 के सहयोग से सभी स्टाफ को प्रशिक्षित किया जायेगा।

- सेनानायक (एस0डी0आर0एफ0) के सहयोग से जनपद प्रभारी/क्षेत्राधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी आपदा से निपटने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षणों एवं पूर्वाभ्यासों का आयोजन विभाग स्तर पर करेंगे तथा अन्य विभागों (आपदा प्रबन्धन अभिकरण) द्वारा आयोजित पूर्वाभ्यासों में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

- जनपद प्रभारी/क्षेत्राधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी विभाग में मानव संसाधनों की क्षमता की पहचान कर उन्हें आपदा के दौरान प्रतिवादन करने की दृष्टि से तैयार करने का कार्य करेंगे।

अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में अग्नि शमन जागरूकता सप्ताह मनाया जायेगा। इसके तहत् 14 से 21 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकारी व निजी संस्थानों, गांवों, शहरों आदि को अग्नि सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया जायेगा।

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में समय–समय पर सार्वजनिक स्थानों जैसे– स्कूल, मॉल, बाजार आदि पर अग्नि आपदा से बचाव हेतु पूर्वाभ्यास (Mockdrill) आयोजित किया जायेगा।

एस०डी०आर०एफ०

- एन0डी0आर0एफ0 के सहयोग से सेनानायक अपने सभी स्टाफ को विभिन्न आपदाओं से बचाव के उपायो के ऊपर प्रशिक्षित करेंगे।

- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 के निर्देशन में समुदाय स्तर पर ग्राम प्रधान एवं अन्य उत्साही लोगों को आपदा प्रबन्धन हेतु नियमित रूप से अद्यतन जानकारियों सहित प्रशिक्षित किया जायेगा।

- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 विद्यालय स्तर पर बच्चों को आपदा प्रबन्धन व बचाव के उपर नियमित प्रशिक्षण देंगे।

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

विभाग के अन्दर सूचनाओं का प्रवाह उपर से नीचे की तरफ होगा। उत्तराखण्ड पुलिस के पुलिस महानिदेशक के माध्यम से तीनों इकाइयों (सामान्य पुलिस, अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा तथा एस0डी0आर0एफ0) को आपदा के सन्दर्भ में सूचना जारी होगी और वहां से क्रमानुसार नीचे की तरफ सूचना का प्रवाह होगा।

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

आपदा के दौरान सक्रियता की स्थितियों का निर्धारण निम्न परिस्थितियों पर निर्भर करेगा–

5.1 अल्प अवधि की चेतावनी अथवा चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

यह वह स्थिति होगी, जब विभाग को आपदा के घटित होने के सन्दर्भ में कोई पूर्व चेतावनी न मिली हो। यदि विभाग को आपदा के सन्दर्भ में पूर्व चेतावनी नहीं मिली है तो ऐसी स्थिति में विभाग के अन्दर राज्य से लेकर थाने/फायर स्टेशन तक की प्रत्येक इकाई तय जिम्मेदारियों के आधार पर तत्काल प्रतिवादन करना प्रारम्भ कर देंगे। आगे की कार्यवाही के लिए तीनों इकाइयों के नोडल निर्देशित करेंगे।

5.2 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता

किसी भी तरह की मौसमी आपदा की संभावना की स्थिति में मौसम विभाग द्वारा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को 48 से 72 घण्टे पहले चेतावनी मिलने की स्थिति में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के माध्यम से चेतावनी महानिदेशक (पुलिस) के पास पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में यह निर्देश जारी कर दिया जायेगा कि आपदा की सूचना मिलते ही सभी इकाईयां अपनी–अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रारम्भ कर देंगी। इन्सीडेण्ट रिस्पान्स टीम का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते महानिदेशक (पुलिस) आपदा की स्थितियों से निपटने हेतु पूर्णतया चाक–चौबन्द रहेंगे।

तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के स्तरों का निर्धारण

आपदा की तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के एल1 एल2 व एल3 स्तर का निर्धारण होगा। आपदा का प्रतिवादन करने हेतु नियोजन भी उपरोक्त तीन स्तरों के आधार पर की जानी होगी। स्तरों के आधार पर नियोजन निम्नानुसार होगा–

एल–1 आपरेशन
यह क्रियाशीलता का न्यूनतम स्तर होता है। इस स्तर में कुछ ही लोगों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः इस स्तर में योजनाएं बनाने, सूचनाएं प्रसारित करने जैसा कार्य प्रमुख होता है। उदाहरणस्वरूप चेतावनी प्रसारित करना या कुछ निम्न स्तरीय घटनाओं से सम्बन्धित योजना बनाना आदि इस स्तर में शामिल होते हैं।

एल–2 आपरेशन
इस स्तर के आपरेशन के दौरान अधिक आपदा बचाव कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर की आपदा में जिला नोडल अधिकारी सभी कियाओं का संचालन एवं समन्वयन कर सकता है।

एल–3 आपरेशन
एल–3 स्तर की आपदाओं में विभाग से जुड़े सभी लोगों की क्रियाशीलता एवं संलिप्तता

आवश्यक होती है। यह स्तर सामान्यतः उस दशा में लागू किया जाता है, जब आपदा का समय पूर्व निर्धारित हो और आपदा की तीव्रता अत्यधिक हो। एल 3 स्तर के आपरेशन में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के समन्वयन में विभाग प्रतिवादन करेगा।

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

6.1 प्रथम चरण

सामान्य पुलिस

- आपदा घटित होने की सूचना मिलते ही आई0आर0एस0 के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर गठित टीम के सदस्य सक्रिय हो जायेंगे और राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर स्टेजिंग एरिया में पहुंचेंगे और वहां से टीम बनाकर प्रभावित स्थलों पर भेजना।

- राज्य आपदा प्रबन्धन के निर्देशानुसार सभी बाढ़ चौकियों को आपदा की सूचना दी जायेगी।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा की सूचना प्रसारित करते हुए लोगों को जागरूक किया जायेगा।

- कण्ट्रोल रूम से अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले निर्देश का फालोअप आपदा प्रबन्धन टीम द्वारा किया जायेगा।

एस०डी०आर०एफ०

- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 महानिदेशक, एस0डी0आर0एफ0 एवं चेन ऑफ कमाण्ड के अनुसार टीमों को अभियान के लिए रवाना करने के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त करेगें।

- सेनानायक/इन्सीडेण्ट कमाण्डर प्राथमिक मूल्यांकन करते हुए आपदा क्षेत्र को सुरक्षित कर इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम को विकसित करेंगे।

- इन्सीडेण्ट कमाण्डर अन्य सहयोगी विभागों जैसे– पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण एवं खाद्य व आपूर्ति विभाग से समन्वय स्थापित करेंगे।

- सेनानायक उप सेनानायक/ सहायक सेनानायक एस0डी0आर0एफ0 व अन्य अधिकारियों को अभियान के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश देगें।

- सेनानायक टीमों को रवाना करने के बाद अभियान क्षेत्र में पहुंचकर पूरे अभियान के दौरान दिशा–निर्देशन करते हुए योजनाबद्ध तरीके से अभियान का सफल संचालन करेंगे।

- कम्पनी कमाण्डर आपदा की स्थिति में उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त कर अधिकारी/कर्मचारियों की ब्रीफिंग कर टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना करेंगे।

- टीम लीडर अभियान पर रवाना होने से पूर्व टीम के सदस्यों तथा सम्बन्धित सभी उपकरणों की सूची अपने उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

- टीम लीडर घटनास्थल के लिए रवाना होने से पहले सभी उपकरणों एवं साजो–सामान की जांच कर एड्म व आपरेशन से सम्बन्धित सभी उपकरणों को गाड़ी में लोड करवायेंगे।

अग्निशमन

- दैवीय आपदा घटित होने की स्थिति में नामित अधिकारियों द्वारा आई0आर0एस0 के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी।

- किसी भी आपदा की स्थिति में फायर विभाग फर्स्ट रिस्पान्डर होता है। फायर स्टेशन पर अग्निशमन अधिकारी फायर सर्विस वाहनों, रेस्क्यू वाहनों, अग्निशमन उपकरणों/रेस्क्यू उपकरणों के रख–रखाव एवं स्टाफ नियंत्रण का प्रभारी होता है। किसी भी आपदा की स्थिति में सूचना मिलने पर आवश्यकता

अनुसार फायर सर्विस यूनिटों को मय वाहन के घटनास्थल पर भेजने का कार्य अग्निशमन अधिकारी करेंगे।

6.1 द्वितीय चरण

सामान्य पुलिस

- क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकाल कर शिविरों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला प्रशासन के समन्वयन में थाना प्रभारी घायलों को खोजकर निकालेंगे व फर्स्ट एड से सुसज्जित एम्बुलेन्स की मदद से निकट स्थित अस्पतालों में भेजेंगे।
- जिला प्रशासन के निर्देश पर थाना प्रभारी घायलों के उपचार हेतु मेडिकल टीम को सूचित करेंगे।
- अग्निशमन एवं जनपद पुलिस नीचे फंसे मनुष्यों व पशुओं को रस्सी बांधकर ऊपर की ओर खीचेंगे।

एस०डी०आर०एफ०

- सेनानायक आपदा राहत कार्यों में नियुक्त अधिकारियों तथा आपदा में कार्यरत अन्य एजेन्सियों से अभियान के सम्बन्ध में लगातार समन्वय स्थापित किया जाये।
- सेनानायक/उप सेनानायक व कम्पनी कमाण्डर आपदा के दौरान उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं से उच्चाधिकारियों को निरन्तर अवगत कराते रहेंगे।
- उप सेनानायक द्वारा सेनानायक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना व अधीनस्थ कर्मचारियों से पालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- कम्पनी कमाण्डर स्थिति के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर दूसरी टीमों को आपदा क्षेत्र में रवाना करने के लिए आदेश पारित कर वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

आपदा बाद लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विभिन्न प्रशासनिक कार्य व उनकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

सामान्य पुलिस

- आपदा के बाद 4 दिनों के अन्दर विभागीय आपदा नोडल अधिकारी विभागीय क्षति का आकलन कर उसकी सूची जिला प्रशासन को प्रस्तुत कर देंगे।
- थाना प्रभारी द्वारा आपदा कार्यों में लगे दलों को सामान्य समय के कार्यों में लगाया जायेगा।
- थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारी उपकरणों की जांच करायेंगे। अगर आवश्यक हुआ तो क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत कराकर उसे यथास्थान पर रखवाना सुनिश्चित करेंगे।

एस०डी०आर०एफ०

- सेनानायक/कम्पनी कमाण्डर अभियान के पश्चात् अपने उच्चाधिकारियों को डी–ब्रीफिंग करेंगे व अभियान के दौरान की गयी कमियों के सुधार हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश देंगे।
- आपदा के दौरान एस0डी0आर0एफ0 द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में मीडिया को स्थिति के अनुसार ब्रीफ करने का कार्य सेनानायक द्वारा किया जायेगा।
- आपदा के बाद सब टीम कमाण्डर आपदा क्षेत्र में मिलने वाली सम्पत्तियों का ब्यौरा तैयार करेंगे और उसका बाउचर बनाकर सम्बन्धित उच्चाधिकारियों के माध्यम से जिला पुलिस को सुपुर्द करेंगे।

अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा

- आपदा के बाद टैंकर व फायर हाइड्रेण्ट में पुनः पानी को भरकर रखने का कार्य मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में फायरमैन करेंगे।

8. सुझाव

अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवा के लिए मुख्यालय स्तर से अलग बजट का प्रावधान।

9. चेकलिस्ट

9.1 आपदा पूर्व तैयारी

यह प्रपत्र जिला नोडल अधिकारी द्वारा भरकर जिला आपात कालीन परिचालन केन्द्र राज्य मुख्यालय को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया है	हाँ/नहीं	टिप्पणी
विभागीय जिला नोडल अधिकारी द्वारा निम्न व्यक्तियों/एजेन्सियों से संचार व्यवस्था कायम की गई है– ◆ महानिदेशक (पुलिस)		
◆ राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र		
◆ जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र		
◆ मण्डल के अन्तर्गत सभी पुलिस स्टेशन		
◆ सचिव आपदा		
◆ अग्निशमन व एस0डी0आर0एफ0		
◆ वन विभाग		
भीड़ प्रबन्धन हेतु टास्कफोर्स का गठन जनपद/थानों के स्तर पर किया गया है।		
सभी अग्निशमन केन्द्रों के प्रभारियों को नोडल नियुक्त किया गया है।		
जोखिम आकलन ◆ सभी संवेदनशील विकास खण्डों की पहचान कर ली गई है।		
◆ मौसम की चेतावनी प्रक्रिया को लागू किया गया है।		
◆ वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।		
संसाधन मानचित्रण ◆ सभी संचार उपकरणों की उपलब्धता व मरम्मत कर ली गई है।		
◆ सभी वाहन चालकों, नाविकों की सूची फोन न0 सहित तैयार की गई है।		
◆ सभी विभागीय एम्बुलेंसों को उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।		
◆ बचाव दल, खोजी दल की सूची तैयार की गई है।		
◆ सभी वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।		

कार्य किया गया है	हाँ/नहीं	टिप्पणी
◆ सुरक्षा व्यवस्था हेतु टीम विभिन्न स्थानों के लिए गठित की गयी है– – ट्रांजिट कैम्प – रिलीफ कैम्प – जानवरों के कैम्प – प्रभावित क्षेत्र – अस्पताल और चिकित्सा केन्द्र – आपूर्ति डिपो – भोजन केन्द्र – स्वास्थ्य शिविर		
◆ सभी बैंकों, अस्पतालों, व्यवसायिक संस्थानों बहुमंजिली इमारतों पर अग्निशमन उपकरण की स्थापना की गयी है।		
◆ सभी हाइड्रेन्ट का निरीक्षण कर लिया गया है।		
◆ वनों में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु वन अधिकारी से समन्वय स्थापित किया गया है।		
क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन ◆ सभी स्टाफ को आपदा का प्रशिक्षण दिया गया है।		
◆ विभाग स्तर पर आपदा से निपटने हेतु पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया है।		
◆ विभाग के अन्दर आपदा से निपटने हेतु आवश्यक विभिन्न कौशलों जैसे– तैराकी, पहाड़ी पर चढ़ना, खाई में उतरना आदि हेतु मानव संसाधन की क्षमता की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।		
◆ बच्चों को विभिन्न आपदाओं, उससे बचाव एवं उसके प्रबन्धन पर प्रशिक्षित/जागरूक किया गया हैं।		

9.2 आपदा के दौरान

कार्य किया गया है	हाँ/नहीं	टिप्पणी
◆ आई0आर0एस0 गाइडलाइन के अनुसार सभी दलों से सम्न्वय स्थापित किया गया है। ◆ राहत एवं बचाव कार्यों में लगी एस0डी0आर0एफ0 टीमों, मेडिकल टीमों एवं राहत वितरण टीमों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। ◆ आपदा में घायलों एवं मृतकों के सामानों की सुरक्षा के पूरे इन्तजाम किये गये हैं। ◆ मेला स्थलों पर पर्याप्त बैरीकेडिंग की गई है एवं निकास द्वार का स्पष्ट निशान इंगित किया गया है।		

नोट

नोट